

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र ।
पत्रांक- 3548 / रेनुकूट / 15-295 दिनांक, रेनुकूट, अप्रैल, 04, 2022
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
पी०.एम०जी०एस०वाई, खण्ड
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर०एस०रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण से प्रभावित 14.5603 हे० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/118819/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू०पी०/०६/३३/२०२२/एफ०सी०/७८६ दिनांक- 31.03.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) द्वारा 9 बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए वांछित सूचना/अभिलेखों की माँग की गयी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के संदर्भित द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म में तैयार कराते हुए पाँच प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार । ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केंद्रीय वन भवन, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roe2.lko-mefr.nic.in

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/706

दिनांक : 31.03.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Road/118819/2021

विषय : जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा आर०एस० रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा बाया खजुरा मार्ग के चैनैज सं०-0.00 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या पी-23/81-2-2022-800(325)/2021, दिनांक-25.02.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके--

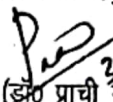
1. As per the GIS DSS and SOI toposheet, demarcation of the forest area in .kml file is undervalued. Some forest areas are demarcated as Non-Forest land, this needs rectification/clarification.
2. The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 9.0 ha., which is less than the actual required CA land area.
3. As per the proposal CA land has been proposed in Non-Forest area, but according to the SOI toposheet and DSS CA land patch falls under the Reserve Forest area, this needs rectification and clarification.
4. Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.
5. When was the existing road constructed? If after 1980 and permission was not taken under FCA, then the proposal should include the area of existing road as well.
6. It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment.
7. No objection certificate of concerned departments (Irrigation, PWD/NHA etc.) need to be submitted.
8. Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan.
9. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रम.गीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
4. अधिशासी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।


(ड० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)